फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/निर्देश/2022-23
F. NO. GST/INV/DISPUTE RESOLUTION /03/21-22
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीयअप्रत्यक्षकरएवंसीमाशुल्कबोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला,टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग
कनाटसर्कस, नई दिल्ली
दिनांक 22 सितम्बर,2021

निर्देश संख्या 02/2021-22 [जीएसटी - अन्वेषण]

विषय: समयबद्ध तरीके से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने के सम्बन्ध में।

जीएसटी चोरी और धोखाधड़ी वाले आईटीसी लाभ के मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 [जुलाई, 2017], 2018-19 और 2019-20 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) की संख्या में प्रवृत्तियों को जानने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया हैं और यह देखा गया है कि उल्लिखित अवधि के दौरान दर्ज किए गए जीएसटी अपवंचन के मामलों में और धोखाधड़ी वाले आईटीसी मामलों में, एससीएन केवल कुछ मामलों में ही जारी किए गए हैं।

2.1 स्पष्ट रूप से, आईटीसी धोखाधड़ी या जीएसटी अपवंचन के मामले सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 [विस्तारित अवधि खंड] के प्रावधानों के तहत आते हैं, हालांकि, कुछ अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत नोटिस जारी करने का इरादा है।

2.2 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे निम्नानुसार उल्लेखित है

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।

. . .
. .

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या गलत इनपुट कर प्रत्यय लिया गया था या उसका गलत उपयोग किया गया था, तीन वर्ष के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जारी करेगा।

2.3 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे निम्नानुसार उल्लेखित है:

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सुचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा।

. . .

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पांच वर्ष के भीतर, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

3. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के तहत "वार्षिक रिटर्न" दाखिल करने की अंतिम तिथियां नीचे दी गई हैं :

क्रमांक.	अवधि	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि
1	2017-18	05 और 7 फरवरी, 2020 (अधिसूचना संख्या 06/2020-केंद्रीय कर) दिनांक 03.02.2020
2	2018-19	31 दिसंबर, 2020 (अधिसूचना संख्या 80/2020- केंद्रीय कर) दिनांक 28.10.2020
3	2019-20	31 मार्च, 2021 (अधिसूचना संख्या 04/2021- केंद्रीय कर) दिनांक 28.02.2021

4. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत कम मामलों में एससीएन जारी करने की पृष्ठभूमि में बोर्ड ने मामले की जांच की है। यह देखा जा सकता है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है। नतीजतन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 और धारा 74 के तहत आदेश जारी करने के लिए तीन साल/पांच साल की समय सीमा पहले ही शुरू हो चुकी है। यदि एससीएन जारी करने को अंतिम तिथियों के करीब धकेल दिया जाता है, तो धारा 73/धारा 74 की उप-धारा (10) में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के पास बहुत कम समय रह जायेगा । इसके परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निर्धारित समय अवधि के

भीतर आदेश पारित करने में सक्षम नहीं होंगे या न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह महसूस किया गया है कि वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय संरचनाओं की ओर से अतिरिक्त प्रयास और पर्यवेक्षी स्तर पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

5. तदनुसार, बोर्ड चाहता है कि प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक /प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित जांच मामलों/अन्य मामलों का जायजा लें, जिनमे कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता हैं और अंतिम तिथि से पहले जांच को समय पर पूरा करने और एससीएन जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें। संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त एक कार्य योजना तैयार करें ताकि कोई भी मामला एक वर्ष से अधिक से जांच के लिए लंबित न हो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार एससीएन जारी होने के बाद, समय पर न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(विजय मोहन जैन)
आयुक्त (जीएसटी-अन्वेषण),
सीबीआईसी

सेवा में:

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई],नयी दिल्ली
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,सीजीएसटी, सभी जोन
3. वेबमास्टर,सीबीआईसी,निर्देशानुसारसीबीआईसी की वेबसाइट (www.cbic.gov.in) पर अपलोड करने के लिये।